Neutral Citation No. - 2026:AHC:35382

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 6282/2026

सुदामा देवी .....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य .....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : पंकज कुमार शुक्ला

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

<u>न्यायालय संख्या - 6</u>

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के आलोक में, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

3. याचिकाकर्ता ने यह वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार (न्यायिक), तहसील हर्रैया, जिला बस्ती को निर्देश दिया जाए कि वह वाद संख्या

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not For Legal Use.

आरएसटी/1231/2007-2008 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202117140106026) (राम पाटा और अन्य बनाम ज्ञान मती) का शीघ्रता से निस्तारण करें।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के अंतर्गत प्रस्तुत एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) का उल्लेख करना उचित और समीचीन होगा, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि ऐसे किसी आवेदन के प्रस्तुत किए जाने पर, संबंधित प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह विधि के पूर्णतः अनुरूप रहते हुए, एक समय-सीमा के भीतर उसका निस्तारण करे। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 का उप-नियम (7),

> "(7). तहसीलदार, दाखिल-खारिज के निर्विवाद मामलों का निर्णय, मामले के पंजीकरण की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर करने का प्रयास करेंगे, और विवादित मामलों का निर्णय 90 दिनों की अवधि के भीतर करेंगे; और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।

5. उक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों के आलोक में, प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार (न्यायिक), तहसील हर्रैया, जिला बस्ती को यह निर्देश जारी किया जाता है कि वे उक्त आवेदन को अपने हाथ में लें और पूर्णतः कानून के अनुरूप, अत्यंत शीघ्रता से–और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर–उस आवेदन का निपटारा उसके अपने गुण-दोष के आधार पर करें; बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो, और इस प्रक्रिया में कोई अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version Not For Legal Use

6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने, विरोधी पक्षों की दलीलों के गुण-दोष के संबंध में, कोई भी राय व्यक्त नहीं की है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

17 फरवरी, 2026

Translated Version. Not For Legal Use.

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"